

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा, उदयपुर
पीठासीन अधिकारी – रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 01/24 वाद
पूर्व प्रकरण संख्या : 54/18

GCMS NO 2024/00040

1. श्री रतनलाल पिता नाथू डांगी आयु वयस्क निवासी मनवाखेडा तह. गिर्वा उदयपुर
2. श्रीमती वेलु पत्नी स्व. नाथू आयु वयस्क निवासी मनवाखेडा तह. गिर्वा उदयपुर

.....वादीगण

बनाम

1. श्री वेला पिता कीका डांगी आयु वयस्क निवासी सोमाखेडा तह गिर्वा उदयपुर
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा उदयपुर

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित:- श्री महेन्द्र मेनारिया अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक :15.05.2024

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर अंकित किया कि राजस्व ग्राम सोमाखेडा प.म. बम्बोरा तह. गिर्वा की जमाबंदी संवत 2070 से 2073 खाता संख्या 105 आ.स. 648 रकबा 0.2850 हेक्टर भूमि वादीगण का 1/3 एवं प्रतिवादी का 1/2 हिस्सा निहित है। वादीगण एवं प्रतिवादी के मध्य भूमि बटी हुई हुई है, जिसका विधिवत बंटवांडा नहीं हुआ है प्रतिवादी संख्या 1 एवं उसके परिजन वादीगण की भूमि में हस्तक्षेप करते हैं फसल काट देते हैं भूमि सामलाती होने से वादीगण अपनी भूमि की बाउण्ड्रीवाल नहीं बना पा रहे हैं। प्रतिवादी एवं उनके पुत्र आरये दिन लडाई-झगडा करते रहते हैं। वाद कारण दिनांक 11.04.2018 को उत्पन्न हुआ जब वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 व उनके परिजन वादी के हिस्से वाली जमीन पर जबरदस्ती हस्तक्षेप करने आये एवं लडाई झगडा किया गया।



अतः वादीगण का वाद स्वीकार फरमाया जाकर वाद वर्णित भूमि में वादीगण का 1/3 हिस्से एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्से का मिट्स एण्ड बाउण्ड्स से बंटवाडा कराया जाकर खाता अलग-अलग कराया जायें एवं प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाये कि वादीगण के हिस्से व कब्जे में किसी भी प्रकार से दखलन्दाजी नही करें।

पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का अवलोकन किया गया, वादीगण वादग्रस्त भूमि सह- खातेदार है सह खातेदार बंटवाडा कराने के अधिकारी होने से वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर दिनांक 23.11.2020 प्रारंभिक डिक्री किया गया। तहसीलदार कुराबड़ को मौका कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया गया कि पक्षकारों को जरिये सूचना पत्र सूचित कर पक्षकारों की उपस्थिति में मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाडा कर बंटवाडा रिपोर्ट प्रस्तुत करें। तहसीलदार कुराबड़ द्वारा पक्षकारों को सूचित कर पत्रांक: राजस्व /प्रा0डि0/2021/992 दिनांक 27.09.2021 को बंटवाडा कर बंटवाडा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जिस पर किसी भी पक्षकार द्वारा आपत्ति नही की गई। हमने तहसीलदार कुराबड़ द्वारा प्रस्तुत बंटवाडा प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री, बंटवाडा प्रस्ताव के सम्बन्ध में मानीय न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा जारी नियम, परिपत्र, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1953 के नियम 18 व 21 का ध्यानपूर्वक अध्ययन का तहसीलदार द्वारा जारी बंटवाडा प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। उभयपक्ष बंटवाडा रिपोर्ट पर सहमत होने से बंटवाडा रिपोर्ट अनुसार :-

1 रतनलाल पुत्र नाथू 4/5, वेलु पत्नि नाथू 1/5, जाति डांगी सा.देह खातेदार :-

आ.स.	रकबा	किस्म	लगान
648/1	0.0950	भु.का.गो.	1.10
किता : 1	रकबा: 0.0950		लगान : 1.10

2.. वेला पुत्र कीका डांगी सा.देह खातेदार :-

आ.स.	रकबा	किस्म	लगान
648 मी.	0.1900	भु.का.गो.	2.20
किता : 2	रकबा: 0.1900		लगान : 2.20

उक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादी के मध्य राजस्व ग्राम सोमाखेडा पटवार मण्डल सोमाखेडा तह. गिर्वा की जमाबंदी संवत 2070 से 2073 के खाता संख्या 105 आराजी संख्या 648 रकबा 0.2850 हेक्टर भूमि का तहसीलदार कुराबड़ द्वारा प्राप्त प्राथमिक डिक्री पालना रिपोर्ट अनुसार बंटवाडा कर वादी का वाद फाईनल

डिक्री किया जाता है। तहसीलदार कुराबड़ तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। बंटवारा रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। फाईनल डिक्री जारी हो। निर्णय सरेईजलास सुनाया गया।

प्रकरण फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो।

रमेश सीरवी पुनाड़िया (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
गिर्वा- उदयपुर

डिक्री व मुकद्मे इब्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7 सि.प्र.सं.)

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक गिर्वा, उदयपुर मुकाम गिर्वा-उदयपुर पीठासीन अधिकारी रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस. मुकद्मा 01/24 सन 2024 सीगह वाद (1) श्री रतनलाल पिता नाथू डांगी आयु वयस्क निवासी मनवाखेडा तह. गिर्वा उदयपुर (2) श्रीमती वेलु पत्नी स्व. नाथू आयु वयस्क निवासी मनवाखेडा तह. गिर्वा बनाम (1) श्री वेला पिता कीका डांगी आयु वयस्क निवासी सोमाखेडा तह गिर्वा उदयपुर (2) राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा उदयपुर वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का यह मुकद्मा आज वास्ते अन्तिम निपटारा किये जाने रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस. के समक्ष प्रस्तुत हुआ। वादी अधिवक्ता श्री महेन्द्र मेनारिया की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि उभयपक्ष बंटवाडा रिपोर्ट पर सहमत होने से बंटवाडा रिपोर्ट अनुसार :-

- 1 रतनलाल पुत्र नाथू 4/5, वेलु पत्नि नाथू 1/5, जाति डांगी सा.देह खातेदार :-

आ.स.	रकबा	किस्म	लगान
648/1	0.0950	भु.का.गो.	1.10
किता : 1	रकबा: 0.0950		लगान : 1.10

2. वेला पुत्र कीका डांगी सा.देह खातेदार :-

आ.स.	रकबा	किस्म	लगान
648 मी.	0.1900	भु.का.गो.	2.20
किता : 2	रकबा: 0.1900		लगान : 2.20

उक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादी के मध्य राजस्व ग्राम सोमाखेडा पटवार मण्डल सोमाखेडा तह. गिर्वा की जमाबंदी संवत 2070 से 2073 के खाता संख्या 105 आराजी संख्या 648 रकबा 0.2850 हेक्टर भूमि का तहसीलदार गिर्वा द्वारा प्राप्त प्राथमिक डिक्री पालना रिपोर्ट अनुसार बंटवाडा कर वादी का वाद फाईनल डिक्री किया जाता है। तहसीलदार गिर्वा तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। बंटवारा रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। फाईनल डिक्री जारी हो। निर्णय सरेईजलास सुनाया गया।

और इस वाद के खर्चे लेखेरुपये की राशि.....आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस परप्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहितद्वाराको दी जाए।

यह आज तारीख15..... माह5..... सन्24..... को मेरे से हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

हस्ताक्षर न्यायाधीश
पद

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	पैसे	प्रतिवादी	रुपया	पैसे
वाद पत्र के लिए स्टाम्प			स्टाम्प प्रार्थना पत्र		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प वकालतनामा		
प्रदर्शो के लिए स्टाम्प			प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		
मेहनताना वकील) पर			मेहनताना वकील) पर		
खर्चा गवाह			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
आदेशिका की तामील			आदेशिका की तामील		
विविध खर्चे			विविध खर्चे		
योग			योग		